रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272374
CG-DL-E-08052026-272374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948
No. 314] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. **348(अ).—** केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (सोमनाथ मंदिर पर प्रथम अभिलिखित हमले के एक हजार वर्ष पूर्ण होने और इसके पुनर्निर्माण के पचहत्तर वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.**— सोमनाथ मंदिर पर प्रथम अभिलिखित हमले के एक हजार वर्ष पूर्ण होने और इसके पुनर्निर्माण के पचहत्तर वर्ष के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में पचहत्तर रुपये मूल्यवर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना.**— नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**शुद्ध चांदी** चांदी – 99.9 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.**— सोमनाथ मंदिर पर प्रथम अभिलिखित हमले के एक हजार वर्ष पूर्ण होने और इसके पुनर्निर्माण के पचहत्तर वर्ष के अवसर पर स्मरण करने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

[नियम 4 देखें]

पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “75” भी होगा ।

पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर का चित्र होगा । सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत की अटूट आस्था और अध्यात्म के 1000 वर्षों का उत्सव" उत्कीर्णित होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में "A CELEBRATION OF 1000 YEARS OF INDIA’S UNWAVERING FAITH AND DEVOTION" उत्कीर्णित होगा। सोमनाथ मंदिर के चित्र के बाईं ओर देवनागरी लिपि में "सोमनाथ मंदिर, गुजरात" उत्कीर्णित होगा। सोमनाथ मंदिर के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंक में वर्ष "2026" उत्कीर्णित होगा।

दूसरी अनुसूची

[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में 999 भाग चांदी। चांदी के अंश की सहनशीलता 999 और उसके ऊपर होगी ।	1/8000वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/20/2026-सिक्का]

अमित सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 348(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.— (**1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of One thousand years since the first recorded attack on the Somnath Temple and Seventy Five years of its reconstruction) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.—** The coin of Seventy Five Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of One thousand years since the first recorded attack on the Somnath Temple and Seventy Five years of its reconstruction.

3. **Dimension and composition of coin**.— The denomination of the coin specified in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	Circular 44 millimeters	200	**Pure Silver** Silver – 99.9 per cent.

4. **Design**.— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.—** The standard weight of the coin of denomination referred to in rule 2 to commemorate the occasion of One thousand years since the first recorded attack on the Somnath Temple and Seventy Five years of its reconstruction, and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE

[*See* rule 4]

SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devanagari script and on the right periphery with the word "INDIA" in English. It shall also bear the rupee symbol "₹" and denominational value "75" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of Somnath Temple, Gujarat. On the upper periphery of the coin, the inscription "भारत की अटूट आस्था और अध्यात्म के 1000 वर्षों का उत्सव" shall be inscribed in Devanagari script. On the lower periphery of the coin, the inscription "A CELEBRATION OF 1000 YEARS OF INDIA'S UNWAVERING FAITH AND DEVOTION" shall be inscribed in English. The inscription "सोमनाथ मंदिर, गुजरात" shall be written in Devanagari script on the left side of the Somnath Temple image. The year "2026" in international numeral shall be inscribed below the image of Somnath Temple.

SECOND SCHEDULE

[*See* Rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	40 grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus, that is to say, the weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/20/2026-Coin]

AMIT SINGLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.08 23:34:32 +05'30'